

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला-ग्वालियर

(म0प्र0)



R-675-4-17

1- शंकर सिंह पिता रणबहादुर सिंह

शत्रुधन सिंह पिता रणबहादुर सिंह

जीतेन्द्र सिंह पिता रणबहादुर सिंह सभी निवासी ग्राम-धुम्मा खुर्द तहसील सिहावल जिला-सीधी म0प्र0 —आवेदक/निगरानीकर्तागण

बनाम

राजनारायण सिंह तनय श्री बलिकरण सिंह बाघेल

छोटेलाल सिंह पिता श्री बलिकरण सिंह बाघेल निवासी ग्राम-धुम्मा खुर्द तहसील सिहावल जिला-सीधी म0प्र0

3- म0प्र0 शासन

-----अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 .

पुनरीक्षण वावत् न्यायालय तहसीलदार सिहावल के प्रकरण क्र. 10/अ-5/2007-08 राजनारायण विरुद्ध म0प्र0 शासन पारित आदेश दिनांक-20.03.2008 को निरस्त किये जाने।

मान्यवर,

आवेदकगणों की ओर से निम्नांकित विन्दुओं के आधार पर आवेदन/निगरानी प्रस्तुत है :-

1- यह कि ग्राम-धुम्मा कला की आराजी खसरा क्र. 181,213, 248, 250, 161, एवं धुम्मा खुर्द की आराजी खसरा क्र. 175, 208 का आवेदक एवं अनावेदकगणों की पैत्रिक आराजियात है।

2- यह कि उक्त आराजियातों का आपसी सहमति के आधार पर सहरवातेदारों के मध्य बंटवारा फर्ट तैयार किया गया है।

(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ट

प्रकरण क्रमांक

12-6751/17/2181

श्री. लाल सिंह / राजभारत

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर

09/01/19

आवेदक की ओर से श्री श्री. लाल सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार श्री. राजभारत के प्रकरण क्रमांक 10/32-S.107-08 में पारित आदेश दिनांक 20-3-08 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला श्री. राजभारत के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 22/4/19 को कलेक्टर जिला श्री. राजभारत के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य

[Handwritten signature]